न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 35 सन् 2022
पंजीयन दिनांक 04.03.2022

भेरूसिंह पिता दीपसिंह जाति राजपूत निवासी मानजी का गुड्ढा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

विरूद्व

1. चतरसिंह पिता दीपसिंह जाति राजपूत निवासी मानजी का गुड्ढा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. गोविन्दसिंह पिता चतरसिंह जाति राजपूत निवासी मानजी का गुड्ढा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
3. करणसिंह पिता चतरसिंह जाति राजपूत निवासी मानजी का गुड्ढा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भदेसर
प्रकरण संख्या 21/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.02.2022

उपस्थित– 1. चन्दनमल जणवा –अधिवक्ता अपीलान्ट
2. रतनलाल कुमावत – अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3

निर्णय **दिनांक 15.06.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादी ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा मानजी का गुड्ढा तहसील भदेसर खाता सं. 96 मे दर्ज आराजी नम्बर 363,637,653 कुल किता 3 कुल रकबा 1.38 हैक्टेयर कृषि भूमि अवस्थित है। उक्त कृषि आराजीयात अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 की पुश्तैनी आराजीयात है। उक्त कृषि आराजीयात मे अपीलान्ट वादी व रेस्पोडेन्ट सं. 1 का नाम पुश्तैनी कृषि आराजीयात मे होने से दर्ज रेकार्ड है। राजस्व रेकार्ड के अनुसार अपीलान्ट वादी का 1/2 व रेस्पोडेन्ट सं. 1 का 1/2 हक व हिस्से अनुसार काबिज है। उक्त कृषि आराजीयात का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त कृषि आराजीयात मे अपीलान्ट वादी की बहिनो का नाम दर्ज रेकार्ड है, किन्तु उनके हक व हिस्से की नकद विक्रय राशि दे देने से उनका कोई हक अधिकार नही है। उक्त आराजीयात अपीलान्ट वादी का 1/2 व रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हक व हिस्से के अनुसार

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

काबिज काश्त करते चले आ रहे है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 अपीलान्ट वादी के हक व हिस्से मे कोई भी हक अधिकार नही होते हुए जबरन अपीलान्ट वादी के हक व हिस्से मे नीवें खोद कर निर्माण करने पर आमादा है। अपीलान्ट के समझाने पर भी रेस्पोडेन्ट्गण किसी भी सुरत मे मानने को तैयार नही है। जिससे प्रतिवादीगणो को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

उक्त आशय का वादपत्र अपीलान्ट वादी की ओर से रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्गण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्गण जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत किया। जवाबदावे मे यह निवेदन किया कि विवादित कृषि आराजीयात संयुक्त खातेदारी की है। जिस पर अपीलान्ट वादी व रेस्पोडेन्ट सं. 1 बिना बंटवाडे किये 1/2, 1/2 हक व हिस्से पर काबिज है। विवादित कृषि आराजीयात अपीलान्ट वादी रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अलावा मेहताब कुंवर, निहाल कुंवर व सोहन कुंवर भी सह-खातेदार है, उनको पक्षकार मुकदमा कायम नही किया है। जिससे अपीलान्ट वादी का वादपत्र चलने योग्य नही है।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने उक्त पत्रावली मे दावा जवाबदावे के अनुसार तनकियात कायम की जाकर पत्रावली मे बहस सुनी गई। अपीलान्ट वादी का विवादित कृषि आराजीयात मे राजस्व रेकार्ड के अनुसार 1/5 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड होने से वादी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 को अपने-अपने 1/5,1/5 हक हिस्से तक को प्राकृतिक स्वरूप मे किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नही करे, व किसी प्रकार का हस्तक्षेप भी नही करे। राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति कायम रखे। इसमे किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा अपीलान्ट वादी के निवेदन पर जारी की गई।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट वादी ने इस न्यायालय मे निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की।

अपीलान्ट वादी की ओर से निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्गण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट वादी ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र मौजा मानजी का गुड्डा तहसील भदेसर की आराजीयात के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया गया। जिस पर अपीलान्ट वादी ने अपने वादपत्र मे निवेदन किया कि अपीलान्ट वादी विवादित कृषि आराजीयात के 1/2 हक व हिस्से पर काबिज है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी 1/2 हक व हिस्से पर काबिज है। सम्पूर्ण कृषि आराजीयात सहखातेदारी की है जिससे हर सह-खातेदार का हर इंच पर कब्जा होता है। फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा नैसर्गिक सिद्धान्तो के परे जाकर अपने-अपने हक व हिस्से के सम्बन्ध मे स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी, जिसका स्पष्टीकरण किया जाना संभव नही है। बहस मे यह भी निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य विवादित कृषि आराजीयात का बंटवाडा नही हुआ है। सह-खातेदार का हिस्सा विशेष पर कब्जा नही माना जा सकता है, न ही ऐसी कोई लिखतम विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत हुई है। विवादित कृषि आराजीयात का विभाजन होना शेष है। बिना रूपान्तरण आदेश के निर्माण कार्य करवाना अवैधानिक है। इन तथ्यो पर घोर किये बगैर विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट वादी के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की है, जिससे अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे। अपनी बहस के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2019 पार्ट-2 पेज 1120, आरआरटी 2015 पार्ट-1 पेज 8, आरआरटी 2015 पार्ट-2 पेज 1283, आरआरटी 2015 पार्ट-2 पेज 1009 प्रस्तुत की है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादी ने संयुक्त खातेदारी की आराजीयात जिसमे अपीलान्ट वादी का राजस्व रेकार्ड के अनुसार 1/5 हक व हिस्सा निहित होकर संयुक्त खातेदारी मे दर्ज बंटवाडे की दाद चाहे बगैर स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया है। जिस पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड के अनुसार अपीलान्ट वादी का 1/5 हक व हिस्सा होना मानते हुए अपीलान्ट वादी का वादपत्र बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री कर उभय पक्षकारान को पाबन्द किया है कि अपने-अपने हक व हिस्से तक की कृषि आराजीयात के प्राकृतिक स्वरूप मे हस्तक्षेप नही करे। राजस्व रेकार्ड व मौके की स्थिति कायम रखे जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने की डिक्री पारित की है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की डिक्री अपीलान्ट वादी के पक्ष मे होने से अपीलान्ट वादी को अपील प्रस्तुत करने का भी अधिकार नही रहता है। जिससे अपील निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलान्ट वादी ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध मौजा मानजी का गुड्डा की कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के वादपत्र व जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की। तत्पश्चात् उक्त पत्रावली मे बयान लिये बगैर बहस सुनी जाकर अपीलान्ट वादी का वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया है। अपीलान्ट वादी व रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड के अनुसार 1/5, 1/5 हक व हिस्से का अधिकारी मानते हुए अपने -अपने हक हिस्से तक के लिये स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र डिक्री किया है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत जमाबन्दी का अवलोकन किया गया जिसमे अपीलान्ट वादी का व रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी का 1/5, 1/5 हक व हिस्सा निहित है। इसके अलावा उक्त जमाबन्दी मे मेहताब कुंवर, निहाल कुंवर व सोहन कुंवर भी सहखातेदार है उनको पक्षकार मुकदमा कायम नही किया है व मेहताब कुंवर, निहाल कुंवर व सोहन कुंवर का 1/5, 1/5 हक व हिस्सा निहित है जो प्रकरण मे पक्षकार नही है परन्तु उनका भी राजस्व रेकार्ड के अनुसार हक व हिस्सा निहित है। सह-खातेदार को पक्षकार बनाये बगैर व बिना बंटवाडे की दाद दिये सम्पूर्ण कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे अपीलान्ट वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही था। जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट वादी का वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्यायोचित व विधि

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अनुसार होकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अपीलान्ट वादी की ओर से जो न्यायिक दृष्टान्त वक्त बहस प्रस्तुत किये गये है। उक्त दृष्टान्त इस प्रकरण मे चस्पा नही होते है, जिससे अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील संहवनीय नही होने से निरस्त योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट वादी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर प्रकरण संख्या 21/2018 रेवेन्यू वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 18.02.2022 यथावत रखी जाकर अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ लोटायी जावे।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

अपील सं. 35/2022 /डिक्री

श्री भैरूसिंह पिता दीपसिंह जाति राजपूत निवासी भानजी का गुड़ा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

(1) श्री चतरसिंह पिता दीपसिंह जाति राजपूत निवासी भानजी का गुड़ा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

(2) गोविन्द सिंह पिता चतरसिंह जाति राजपूत निवासी भानजी का गुड़ा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

(3) करण सिंह पिता चतरसिंह जाति राजपूत निवासी भानजी का गुड़ा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

-अपीलान्ट -रेस्पोडेन्ट

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी भदेसर दि. 18-02-2022

प्रकरण सं. 21/2018 अन्तर्गत धारा 188, 209 रा.का.अ. 1955

निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 15-06-2022 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दनमल जैन रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री रतनलाल कुमावत-अधिवक्ता रेस्पो. 1 से 3 की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि -

अपील अपीलान्ट वादी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर प्रकरण संख्या 21/2018 रेवेन्यू वाद निर्णित व डिक्री दिनांक 18-02-2022 यथावत रखी जाकर अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि ..... रुपये हैं, ... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ..... द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 15-06-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(श्री हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

दिनांक : 15-6-2022

अपील खर्चे :

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. ..... रू. पर प्लीडर की फीस	2254	4. ..... रू. पर प्लीडर की फीस	2254
योग		योग	